

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/विकास-यो0-228/2024-677/सी/सी
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 29 मार्च, 2025

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अंतर्गत गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत कुल स्वीकृत एवं आवंटित 984.993 लाख रू० में से सामान्य श्रेणी में 403.96250 लाख रू०, अनु० जाति में 3.46300 लाख रू० एवं अनु० जनजाति में 5.26200 लाख रू० यानि कुल 412.68750 (चार करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) लाख रू० का अग्रिम निकासी के स्वीकृति के संबंध में।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-102 स्वी०/सी.सी. दिनांक-01.07.2024 तथा संशोधित आदेश ज्ञापांक-523 स्वी०/सी.सी. दिनांक-24.02.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के लिए कुल 984.993 लाख रू० (नौ करोड़ चौरासी लाख निन्यानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

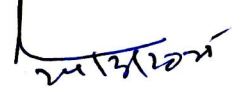
2. इस योजना अंतर्गत यंत्र क्रय की स्वीकृति हेतु लाभुकों का चयन 05 चरण में रैण्डमाईजेशन के आधार पर किया गया है एवं कतिपय लाभुकों द्वारा यंत्र क्रय तथा कैश मेमो अपलोड करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, ऐसे में तदनुसार अपलोड कैश मेमो एवं सत्यापन इत्यादि के आधार पर अनुदान भुगतान करने में अतिरिक्त समय लग सकता है, के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इस संबंध में पेयी आईडी बनाकर भुगतान में हो रही कठिनाई के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2168 दिनांक-27.02.2025 प्राप्त है।

3. इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत एवं आवंटित 984.993 लाख रू० में से सामान्य श्रेणी में 403.96250 लाख रू०, अनु० जाति में 3.46300 लाख रू० एवं अनु० जनजाति में 5.26200 लाख रू० यानि कुल 412.68750 (चार करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) को वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. (क) अग्रिम राशि 403.96250 (चार करोड़ तीन लाख छियानवे हजार दो सौ पचास) लाख रू० की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0109 ईख विकास विपत्र कोड-45-2401001080109, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ख) अग्रिम राशि 3.46300 (तीन लाख छियालीस हजार तीन सौ) लाख रू० की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या-45-2401007890108, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ग) अग्रिम राशि 5.26200 (पाँच लाख छब्बीस हजार दो सौ) लाख रू० की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष- 0129-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007960129, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।



उक्त अग्रिम राशि की निकासी हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	सहायक निदेशक, ईख विकास/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संबद्ध चीनी मिल का नाम	सामान्य श्रेणी अंतर्गत अग्रिम निकासी की जाने वाली राशि (लाख ₹०)	अनुसूचित जाति श्रेणी अंतर्गत अग्रिम निकासी की जाने वाली राशि (लाख ₹०)	अनुसूचित जनजाति श्रेणी अंतर्गत अग्रिम निकासी की जाने वाली राशि (लाख ₹०)	अग्रिम निकासी की जाने वाली राशि का कुल योग (लाख ₹०) (4+5+6)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरुपति सुगर मिल्स लि०, बगहा, प० चम्पारण	123.27640	0.48000	3.21000	126.96640	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
2		हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण	50.35020	1.11600	2.05200	53.51820	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
3		एच० पी० सी० एल० बायोप्यूल्स लि०, लौरिया।	7.83210	0.24700	0.00000	8.07910	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंडौलिया, प० चम्पारण	35.00000	0.00000	0.00000	35.00000	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
5		न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प० चम्पारण	5.00000	0.00000	0.00000	5.00000	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच० पी० सी० एल० बायोप्यूल्स लि०, सुगीली	70.79000	0.00000	0.00000	70.79000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	13.65700	0.00000	0.00000	13.65700	कोषागार, गोपालगंज
8		विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज	4.90000	0.00000	0.00000	4.90000	कोषागार, गोपालगंज
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर चीनी मिल, हसनपुर	93.15680	1.62000	0.00000	94.77680	कोषागार, समस्तीपुर
	कुल योग—		403.96250 (चार करोड़ तीन लाख छियालीस हजार दो सौ पचास ₹०)	3.46300 (तीन लाख छियालीस हजार तीन सौ ₹०)	5.26200 (पाँच लाख छब्बीस हजार दो सौ ₹०)	412.68750 (चार करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास ₹०)	

5. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से लाभुकों/किसानों को उनके बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी। अग्रिम निकासी के लिए स्वीकृत राशि में से यदि पूर्व में राशि की निकासी की गयी है तो पूर्व में निकासी की गयी राशि को घटाकर ही आवश्यकतानुसार शेष राशि की अग्रिम निकासी की जायेगी।

6. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ लाभुकों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद एवं श्रेणी के विरुद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद एवं श्रेणी अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

8. उक्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका सं०-01/विकास-यो०-228/2024 के पृष्ठ संख्या-38/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

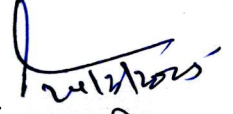
9. उक्त प्रस्ताव पर संचिका सं०-01/विकास-यो०-228/2024 के पृष्ठ संख्या-37/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि० (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


ईखायुक्त, बिहार।

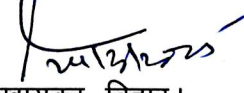
ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-228/2024 677 सी/ए पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मोतीहारी/गोपालगंज/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-228/2024 677 सी/ए पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025

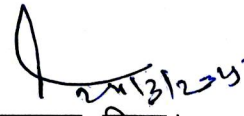
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-228/2024 677 सी/ए पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-228/2024 677 सी/ए पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।